Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 179-2017/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 12 अक्तूबर, 2017
(19 आश्विन, 1939 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 15/संवि०/अनु० 318/2017, दिनांक 12 अक्तूबर, 2017 – हरियाणा लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) संशोधन विनियम, 2017.	633–634
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग –III

हरियाणा सरकार

कार्मिक विभाग

(सेवाएं– III)

अधिसूचना

दिनांक 12 अक्तूबर, 2017

संख्या सा०का०नि० 15/संवि०/अनु० 318/2017.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियम, 1972, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये विनियम हरियाणा लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) संशोधन विनियम, 2017, कहे जा सकते हैं ।

(2) ये विनियम प्रथम जनवरी, 2009 से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियम, 1972 में, विनियम 6 में,–

(1) उप विनियम (2) में, परन्तुकों का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(2) उप विनियम (3) का लोप कर दिया जाएगा।

डी० एस० ढेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

PERSONNEL DEPARTMENT

(SERVICES-III)

Notification

The 12th October, 2017

No. G.S.R.-15/Const./Art. 318/2017.— In exercise of the powers conferred by article 318 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following regulations further to amend the Haryana Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1972, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Haryana Public Service Commission (Conditions of Service) Amendment Regulations, 2017.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 2009.

2. In the Haryana Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1972, in regulation 6,

(i) in sub-regulation (2), the provisos shall be omitted; and

(ii) sub-regulation (3) shall be omitted.

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government Haryana.

55676—L.R.—H.G.P., Chd.